

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1428
02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र के उत्पादों की लेबलिंग और ब्रांडिंग

1428. श्री बृज लाल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वैश्विक बाजार में इस्पात क्षेत्र के उत्पादों की लेबलिंग और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने की पहल का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) 'मेक इन इंडिया' के विजन को बढ़ावा देने और भारत को दुनिया के "विनिर्माण केंद्र" के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार की अन्य पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)

(क) इस्पात उत्पादों की ब्रांडिंग में घरेलू इस्पात उत्पादों पर क्यूआर कोड के साथ मेड इन इंडिया लेबल के माध्यम से लेबलिंग करने का प्रावधान है, जिसमें घरेलू इस्पात उत्पादों और निर्यात के लिए विनिर्मित इस्पात, दोनों के लिए उत्पादों का विवरण शामिल है। इस संबंध में, प्रमुख एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा एक पायलट रोलआउट लागू किया गया है।

(ख) सरकार ने 'मेक इन इंडिया' के विजन को बढ़ावा देने और भारत को विश्व के "विनिर्माण केन्द्र" के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित पहलों की हैं:-

- i. आत्मनिर्भर पैकेजों की शुरुआत, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत निवेश के अवसर, भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) का सॉफ्ट लॉन्च आदि।
- ii. भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय बजट 2021-22 में, उत्पादन, कौशल विकास, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और निर्यात को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले विनिर्माण के 14 मुख्य क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं हेतु 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की गई थी।
- iii. भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के रूप में निवेश में तेजी लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई।
- iv. सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत, जो वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और देश में घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से निवेश आउटरीच गतिविधियां की जाती हैं।
